

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2023

का.आ. 4078(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 अगस्त 2017, का. आ. 2668(अ), दिनांक 13 अगस्त 2018 के का. आ. 3987(अ), दिनांक 13 अगस्त 2019 के का. आ. 2934(अ), दिनांक 14 अगस्त 2020 के का. आ. 2768(अ), दिनांक 15 सितंबर 2020 के का. आ. 3147 (अ), दिनांक 10 सितम्बर 2021 के का. आ. 3670(अ) एवं दिनांक 15 सितंबर 2022 के का. आ. 4343(अ) के माध्यम से घटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घटना प्रत्यारोपण की सीलिंग प्राईस के निर्धारण/संशोधन के संबंध में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, यह निर्णय लिया गया है कि डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के प्रावधानों के अनुसार इसकी निगरानी की जा सकती है। यह आदेश 16 सितंबर 2023 से एक वर्ष की अवधि (यानी 15 सितंबर 2024 तक) के लिए लागू होगा, जब तक कि किसी अन्य अधिसूचना द्वारा संशोधित न किया जाए।

2. एक वर्ष की अवधि के बाद आर्थोपेडिक घटना प्रत्यारोपण की सीलिंग प्राईस की समीक्षा की जाएगी।

3. दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का. आ. 2668(अ) अधिसूचना की टिप्पणियां (ख) से (न) तक, इस आदेश के लागू रहने के दौरान प्रभावी रहेंगे।

[पीएन/248/116/2023/एफ/फा.सं. 8(116)/2023/डीपी/एनपीपीए/डिवी.II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2023

S.O. 4078(E).—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2668(E) dated 16th August, 2017, S.O. 3987(E) dated 13th August 2018, S.O. 2934(E) dated 13th August 2019, S.O. 2768(E) dated 14th August 2020, S.O. 3147 (E) dated 15th September 2020, S.O. 3670(E) dated 10th September 2021 and S.O. 4343(E) dated 15th September 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding fixation/revision of ceiling prices of the Orthopaedic Knee Implants for Knee Replacement System. In continuation to the above notifications, it has been decided that the same may be monitored as per the provisions of Paragraph 20(1) of the DPCO, 2013. This order shall be applicable for the period of one year from 16th September 2023 (i.e. up to 15th September 2024), unless revised by another notification.

2. The ceiling prices for Orthopaedic Knee Implants will be reviewed after a period of one year.

3. The Notes (b) to (t) of the Notification S.O. 2668(E) dated 16th August 2017 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/248/116/2023/F/F. No. 8(116)/ 2023/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director